Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

Original Article

गांधीवादी आर्थिक दर्शन : महिला सशक्तिकरण का आधार

नाहिद प्रवीण
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
Email: nahiddu2225@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2026-180134
ISSN: 2230-9578
Volume 18
Issue 1(A)
Pp. 166-168
January - 2026
Submitted: 18 Dec. 2025
Revised: 28 Dec. 2025
Accepted: 13 Jan. 2026
Published: 31 Jan. 2026

सारांश

महात्मा गांधी का "आर्थिक स्वराज" का दर्शन महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत एवं प्रासंगिक आधार प्रस्तुत करता है। उनके स्वदेशी, कुटीर उद्योग, ग्राम स्वराज और ट्रस्टीशिप जैसे सिद्धांत सीधे तौर पर महिलाओं को घरेलू स्तर से लेकर सामुदायिक स्तर तक आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग दिखाते हैं। चरखा और खादी जैसे प्रतीकों के माध्यम से गांधी ने महिलाओं को घर में रहते हुए भी सम्मानजनक आजीविका का साधन दिया, जो आज के "गिग इकॉनॉमी" और "वर्क फ्रॉम होम" मॉडल का पूर्वसूचक था। आधुनिक संदर्भ में, महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs), सूक्ष्म वित्त, मुद्रा योजना और डिजिटल उद्यमिता इसी दर्शन के जीवंत रूप हैं, जो महिलाओं को सामूहिक पूँजी निर्माण, ऋण की पहुँच और बाजार संपर्क प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार, गांधी का आर्थिक चिंतन न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दर्शन है, बल्कि लैंगिक आर्थिक न्याय के माध्यम से एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण का मार्गदर्शक भी है।

कीवर्ड: *गांधीवादी अर्थशास्त्र, आर्थिक स्वराज, महिला वित्तीय स्वतंत्रता, स्वदेशी, कुटीर उद्योग, ट्रस्टीशिप, महिला स्वयं सहायता समूह, लैंगिक आर्थिक न्याय, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, महिला उद्यमिता, ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता।*

प्रस्तावना

महात्मा गांधी का आर्थिक दर्शन, जिसे उन्होंने "आर्थिक स्वराज" का नाम दिया था, केवल राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं था। यह एक मौलिक सामाजिक-आर्थिक पुनर्गठन का दर्शन था, जिसके केंद्र में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वावलंबन था। गांधी के लिए, "स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक और नैतिक स्वतंत्र होना है"।[1] इस दृष्टिकोण में, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता एक अनिवार्य घटक थी। उनका मानना था कि बिना महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और स्वायत्तता के, वास्तविक स्वराज असंभव है। वे समाज में महिलाओं की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना चाहते थे – केवल घरेलू क्षेत्र तक सीमित न रखकर उन्हें अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में सक्रिय सृजनात्मक शक्ति के रूप में स्थापित करना। आज, जब लैंगिक आर्थिक असमानता एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है – विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में लैंगिक अंतर को बंद करने में अभी 169 वर्ष लग सकते है।[2] गांधी के आर्थिक स्वराज के सिद्धांत एक प्रासंगिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। यह लेख गांधी के आर्थिक दर्शन के उन पहलुओं का विश्लेषण करेगा जो सीधे तौर पर महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को सक्षम बनाते हैं, और आधुनिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता को परखेगा।

गांधी के आर्थिक स्वराज के स्तंभ और महिला सशक्तिकरण- गांधी का आर्थिक दर्शन कई मूलभूत सिद्धांतों पर टिका था, जिनमें से प्रत्येक में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के बीज निहित थे।

1.स्वदेशी और कुटीर उद्योग: घर को आर्थिक इकाई बनाना- गांधी के लिए स्वदेशी का अर्थ केवल देशी उत्पादों का उपयोग नहीं था, बल्कि स्थानीय संसाधनों, स्थानीय श्रम और स्थानीय जरूरतों पर आधारित एक स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का निर्माण था। इसका सबसे प्रतीकात्मक एवं व्यावहारिक रूप चरखा और खादी था।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
नाहिद प्रवीण, शोधार्थी , राजनीति विज्ञान, ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

How to cite this article:
नाहिद, . प्रवीण . (2026). गांधीवादी आर्थिक दर्शन : महिला सशक्तिकरण का आधार. Journal of Research & Development, 18(1(A)), 166–168. https://doi.org/10.5281/zenodo.18618206

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.18618206
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

गांधी ने चरखे को "गरीबों की लक्ष्मी" कहा और इसे महिलाओं की आर्थिक मुक्ति का एक शक्तिशाली उपकरण देखा। चरखे की खूबी यह थी कि इसे घर की चारदीवारी के भीतर भी संचालित किया जा सकता था, जिससे महिलाएँ घरेलू दायित्वों के साथ-साथ आय अर्जित कर सकती थीं। इसने महिलाओं को घरेलू अर्थव्यवस्था की सक्रिय भागीदार बनाया।गांधी ने लिखा, "चरखा हर पुरुष और औरत को उनकी गरिमा के साथ जीविकोपार्जन का साधन देता है... यह विशेष रूप से स्त्रियों को घर बैठे सम्मानजनक आजीविका देकर उनकी दशा सुधार सकता है"।[3] यह दृष्टिकोण महिलाओं के लिए कार्य और देखभाल के कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने वाला एक समावेशी आर्थिक मॉडल था, जो आज के "वर्क फ्रॉम होम" और "जिग इकॉनमी" की अवधारणाओं से मेल खाता है।

2.ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण: स्थानीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की नेतृत्व भूमिका- गांधी का ग्राम स्वराज का सपना एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ गाँव आर्थिक रूप से स्वावलंबी इकाइयाँ हों। यह विचार आज के "लोकलाइजेशन" और "डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस" के समकालीन विमर्श का पूर्वगामी है। एक स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था में, महिलाओं की भूमिका केवल श्रमिक की नहीं, बल्कि प्रबंधक, उद्यमी और निर्णय निर्माता की हो सकती थी। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और छोटे उद्योग – ये सभी क्षेत्र महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए खुले थे। इस विकेंद्रीकृत मॉडल का लाभ यह था कि यह महिलाओं को रोजगार के लिए दूरस्थ शहरी केंद्रों पर निर्भर नहीं होने देता था, जिससे उनकी सुरक्षा और सामाजिक सहायता प्रणाली बनी रहती थी। यह दृष्टिकोण आज महिला किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली नीतियों के अनुरूप है।

3. ट्रस्टीशिप: संपत्ति और पूंजी का लैंगिक न्यायपूर्ण पुनर्वितरण- गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत उनके आर्थिक दर्शन का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। उनका मानना था कि धनवान व्यक्तियों को अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि समाज का ट्रस्टी (न्यासी) समझना चाहिए, जो उस संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण, विशेष रूप से सबसे गरीब और वंचित तबकों के कल्याण के लिए करे। उन्होंने कहा, "जो लोग धन या प्रतिभा में अधिक संपन्न हैं, उन्हें अपनी संपदा का उपयोग समाज के हित में करना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए"।[4]

महिलाओं के संदर्भ में, यह सिद्धांत गहन प्रासंगिकता रखता है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और पूंजी तक पहुँच से वंचित रखा गया है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पारिवारिक और सामाजिक संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। यह पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार और महिला उद्यमियों को वित्तीय पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एक नैतिक आधार प्रदान करता है। आज के संदर्भ में, यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के फंड्स को महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं की ओर निर्देशित करने का तर्क दे सकता है।

व्यावहारिक अनुप्रयोग – स्वराज के सिद्धांतों का आधुनिक रूपांतरण-

1. स्वयं सहायता समूह (SHGs): आर्थिक स्वराज का जीवंत उदाहरण- भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का विस्फोट गांधी के आर्थिक स्वराज के सिद्धांतों का सबसे सफल समकालीन अवतार है। ये समूह सामूहिक बचत, सहकारी ऋण और सामुदायिक उद्यमिता पर आधारित हैं – ये सभी गांधीवादी सिद्धांतों से गहराई से जुड़े हैं।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10 करोड़ से अधिक महिलाएँ 90 लाख से अधिक SHGs से जुड़ी हैं, जिनके पास संचित पूंजी लाखों करोड़ रुपये में है।[5] ये समूह गांधी के "सर्वोदय" (सबका उत्थान) के विचार को साकार करते हैं। एक SHG में, महिलाएँ न केवल बचत करती हैं, बल्कि सामूहिक निर्णय लेती हैं, व्यवसाय शुरू करती हैं और एक-दूसरे की सामाजिक सुरक्षा का निर्माण करती हैं। यह वित्तीय समावेशन का एक शक्तिशाली मॉडल है, जो महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ता है।

2.खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC): परंपरागत ज्ञान और आधुनिक बाजार का मेल- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) गांधी के स्वदेशी और कुटीर उद्योग के विजन को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख संस्था है। KVIC आंकड़ों के अनुसार, इससे जुड़े कारीगरों में लगभग 80% महिलाएँ हैं ।[6] खादी अब केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि हस्तनिर्मित उत्पादों, प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधनों और जैविक खाद्य पदार्थों का एक ब्रांड बन गया है। KVIC की "कुमारी" परियोजना जैसे कार्यक्रम युवा महिलाओं को खादी उत्पादन और विपणन में प्रशिक्षित करते हैं, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाया है। महिला कारीगर अब अपने उत्पाद सीधे देश-विदेश के ग्राहकों तक पहुँचा सकती हैं। यह गांधी के "उत्पादन बिखरा हुआ, लेकिन उपभोग स्थानीय" के विचार का एक नया रूप है।

3. सूक्ष्म वित्त और मुद्रा योजना: महिलाओं को पूंजी उपलब्ध कराना- गांधी के ट्रस्टीशिप और स्वावलंबन के विचार ने सूक्ष्म वित्त आंदोलन के लिए नैतिक आधार तैयार किया। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), जिसका लक्ष्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देना है, का एक बड़ा लाभ महिला उद्यमियों को मिला है। वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि PMMY के तहत दिए गए कुल ऋण का लगभग 70% महिलाओं को मिला है।[7] यह गांधी के इस विश्वास को प्रतिबिंबित करता है कि महिलाएँ अधिक विश्वसनीय और जिम्मेदार ऋण लेने वाली होती हैं और अपनी आय का अधिक हिस्सा परिवार और समुदाय के कल्याण पर खर्च करती हैं। यह "ट्रिकल-अप" अर्थशास्त्र का एक रूप है, जहाँ महिलाओं को सशक्त बनाने से पूरे परिवार और समुदाय को लाभ होता है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ – हालाँकि गांधी के आर्थिक स्वराज के सिद्धांत महिला सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएँ और चुनौतियाँ भी हैं, जिन पर विचार आवश्यक है।

Journal of Research and Development
A Multidisciplinary International Level Referred and Double Blind Peer Reviewed, Open Access
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-18, Issue-1(A)| January - 2026

1. **परंपरा बनाम प्रगति:** क्या स्वदेशी महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं में ही सीमित कर देता है? एक प्रमुख आलोचना यह है कि गांधी का कुटीर उद्योग और घर-आधारित कार्य पर जोर, महिलाओं को पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं में ही बनाए रख सकता है, उन्हें आधुनिक, संगठित क्षेत्र में प्रवेश से रोक सकता है। क्या चरखा चलाना महिलाओं को उन्नत शिक्षा, तकनीकी कौशल और व्यावसायिक करियर से दूर रखने का एक सूक्ष्म तरीका नहीं था? इसका उत्तर संतुलित दृष्टिकोण में निहित है। गांधी की दृष्टि में, घर-आधारित कार्य प्रारंभिक सशक्तिकरण का एक चरण था, जो महिलाओं को आर्थिक मूल्य प्रदान करता था और आत्मविश्वास बढ़ाता था। यह उन्हें निर्णय लेने, संसाधन प्रबंधन और समुदाय में भागीदारी के लिए तैयार करता था। आधुनिक संदर्भ में, इसका अर्थ यह नहीं है कि महिलाएँ केवल पारंपरिक हस्तशिल्प तक सीमित रहें, बल्कि यह कि उन्हें अपनी पसंद का आर्थिक मार्ग चुनने की स्वतंत्रता हो – चाहे वह खादी बुनना हो या सॉफ्टवेयर कोडिंग करना।

2. **बाजार की वास्तविकताएँ:** क्या कुटीर उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं? एक अन्य चुनौती बाजार की शक्तियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की है। क्या हस्तनिर्मित, छोटे पैमाने के उत्पाद बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादन और सस्ते आयातों का मुकाबला कर सकते हैं? क्या इससे महिला कारीगर शोषण और कम मजदूरी का शिकार नहीं हो जातीं? इसके समाधान के लिए नैतिक उपभोक्तावाद, ब्रांड निर्माण और सरकारी समर्थन आवश्यक है। "हैंडमेड इन इंडिया", "जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग" और निष्पक्ष व्यापार मानकों ने हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार में एक विशेष स्थान दिलाया है। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में, महिला उद्यमी सीधे उपभोक्ता से जुड़ सकती हैं और अपने उत्पाद की कहानी बता कर उसकी मूल्य वृद्धि कर सकती हैं।

3. **संस्थागत बाधाएँ:** पितृसत्तात्मक ढाँचों का सामना- गांधी के विचारों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा गहरी जड़ें जमाए पितृसत्तात्मक सामाजिक ढाँचे हैं। संपत्ति के अधिकारों पर पारंपरिक नियंत्रण, वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच, और घरेलू कार्यभार का असमान वितरण – ये सभी कारक महिलाओं की पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता में बाधक हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, गांधीवादी सिद्धांतों को कानूनी और नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ जोड़ना होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन (2005), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएँ, और मातृत्व लाभ कानून गांधी के नैतिक आह्वान को कानूनी शक्ति प्रदान करते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है, "स्वतंत्रता केवल अवसरों की उपस्थिति से ही नहीं, बल्कि उन अवसरों का वास्तविक उपयोग करने की क्षमता से आती है"।[8] गांधी का आर्थिक स्वराज यह क्षमता निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी का आर्थिक स्वराज का दर्शन, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक सशक्त, सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि सच्ची आर्थिक प्रगति वह नहीं है जो केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आँकड़ों में वृद्धि करे, बल्कि वह है जो प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ऐतिहासिक रूप से वंचित महिलाओं, को गरिमापूर्ण जीवनयापन और स्वावलंबन का अवसर प्रदान करे। स्वदेशी, ग्राम स्वराज, ट्रस्टीशिप और कुटीर उद्योग जैसे सिद्धांत, जब आधुनिक संदर्भ में पुनर्निर्मित किए जाते हैं, तो लैंगिक आर्थिक न्याय के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करते हैं। स्वयं सहायता समूहों की सफलता, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर महिला उद्यमिता का उदय, और सूक्ष्म वित्त के माध्यम से महिलाओं को पूंजी की पहुँच – ये सभी इस बात के प्रमाण हैं कि गांधी का आर्थिक स्वप्न आज भी प्रासंगिक और क्रियान्वयन योग्य है। अंततः, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं है; यह सामाजिक न्याय, मानवीय गरिमा और सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला है। गांधी का आर्थिक स्वराज हमें इसी मूलभूत सत्य की ओर इंगित करता है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था, "स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं... एक के बिना दूसरे की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। दोनों के विकास का स्तर एक सा होना चाहिए"।[9] एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की रचना तभी संभव है जब हम इस दर्शन को अपनी आर्थिक नीतियों और सामाजिक व्यवहार का केंद्र बनाएँ।

संदर्भ सूची (References)

1. गांधी, मोहनदास करमचंद (1909), हिंद स्वराज, अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर,पृ. 38
2. विश्व आर्थिक मंच (2023), ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, जिनेवा: विश्व आर्थिक मंच प्रकाशन, पृ. 15
3. गांधी, मोहनदास करमचंद (1925), यंग इंडिया (संपादित संग्रह), अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, पृ. 211
4. गांधी, मोहनदास करमचंद (1940), ट्रस्टीशिप, अहमदाबाद: नवजीवन प्रकाशन मंदिर, पृ. 5-6
5. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) (2022), वार्षिक रिपोर्ट 2021-22, नई दिल्ली: ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 23
6. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) (2021), वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21, मुंबई: KVIC प्रकाशन, पृ. 17
7. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (2022), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): प्रगति रिपोर्ट 2022, नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय, पृ. 9
8. सेन, अमर्त्य (1999), डेवलपमेंट एज़ फ्रीडम, न्यूयॉर्क : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 87
9. गांधी, मोहनदास करमचंद (1940), हरिजन (संपादकीय), अहमदाबाद : नवजीवन प्रकाशन, पृ. 122